

डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़  
पीठासीन अधिकारी :-श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

गि0न0 - 37/2025

अनवान : -

1. भूपसिंह पुत्र पेमा उर्फ पेमाराम जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
2. रातवीर पुत्र पेमा उर्फ पेमाराम जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।

:-वादीगण

बनाम

1. पेमा उर्फ पेमाराम पुत्र आदू उर्फ आदराम जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
2. सुनीता पुत्री पेमा उर्फ पेमाराम जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
3. रागी पत्नी पेमा उर्फ पेमाराम जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
4. आईसीआईसीआई बैंक शाखा 12 एमएसआर जरिये शाखा प्रबंधक।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:-प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ कल्पित शिवरान उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री अमरजीत वैनीवाल व वकील प्रतिवादीगण श्री भानूप्रताप वैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा चक 12 एमएसआर के खाता सं0 76/75 के मु0 न0 43 के किला न0 17, 18/1, 18/2, 19, 20, 21, 22, 23/1, 23/2, 24, मु0 न0 44 के किला न0 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 मु0 न0 48 के किला न0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कुल रकबा 10.8790है0 जिसमें नहरी 10.704है0, गै0 मु0 रास्ता 0.050है0, गै0 मु0 खाला 0.125है0 खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 पेमा के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उपरोक्त वादभूमि में से प्रतिवादी सं0 1 पेमा अकेले के बजाए वादीगण सं0 1 भूपसिंह, वादीगण सं0 2 सतवीर व प्रतिवादी सं0 1 पेमा उर्फ पेमाराम को बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं चूंकि प्रतिवादी सं0 2 ने अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क एवं स्टाम्प ड्यूटी अदा करने पर व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 12/05/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



*Kalpit*  
(कल्पित शिवरान)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
R.A.S  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
भादरा जिला हनुमानगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़  
पीठासीन अधिकारी :- श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

मि०न० - 37/2025  
अनवान :-

1. भूपरिंह पुत्र पेमा उर्फ पेमाराम जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
2. सतवीर पुत्र पेमा उर्फ पेमाराम जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।

:-वादीगण

1. पेमा उर्फ पेमाराम पुत्र आदू उर्फ आदराम जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
2. सुनीता पुत्री पेमा उर्फ पेमाराम जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
3. रामी पत्नी पेमा उर्फ पेमाराम जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
4. आईसीआईसीआई बैंक शाखा 12 एमएसआर जरिये शाखा प्रबंधक।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।



:-प्रतिवादीगण

दावा वाबत अन्तर्गत धारा 88  
राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :- श्री अमरजीत बैनीवाल वादी

श्री भानूप्रतापा बैनीवाल प्रतिवादी

निर्णय

दिनांक: 12/05/2025

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मोजा चक 12 एमएसआर के खाता सं० 76/75 के मु० न० 43 के किला न० 17, 18/1, 18/2, 19, 20, 21, 22, 23/1, 23/2, 24, मु० न० 44 के किला न० 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 मु० न० 48 के किला न० 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कुल रकबा 10.8790 है० जिसमें नहरी 10.704 है०, गै० मु० रास्ता 0.050 है०, गै० मु० खाला 0.125 है० खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं० 1 पेमा के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि व रिति-रिवाज से शासित है। वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पत्ति है। जिसमें वादी व प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। वादी अपने हिस्से की भूमि को अपने दर्ज करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण आजकल आजकल करने लगे। अतः वादी अपने हिस्से की भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है। यह ही बिनाय मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादीगण व प्रतिवादीगण 1 ता 3 ने आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया। प्रतिवादी सं० 5 स्टेट की ओर से जवाब पेश किया गया। व प्रतिवादी सं० 4 की ओर से तामिल उपरान्त भी हाजिर नहीं होने के कारण एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने निवेदन किया वाद भूमि रोही मोजा चक 12 एमएसआर वादी की पैतृक सम्पत्ति है। जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा निहित है अतः मुताबिक राजीनामा वाद वादी स्वीकार किये जाने का निवेदन है। जिस पर वकील प्रतिवादीगण ने भी सहमती प्रकट की।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादी ने रोही मोजा चक 12 एमएसआर के खाता सं० 76/75 के मु० न० 43 के किला न० 17, 18/1, 18/2, 19, 20, 21, 22, 23/1, 23/2, 24, मु० न० 44 के किला न० 1/1, 1/2, 2/1,

Kalpita  
श्री (राजस्व)

2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 मु० न० 43 के किला न० 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 मु० न० 44 के किला न० 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 मु० न० 48 के किला न० 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कुल रकबा 10.8790 है० जिरामें नहरी 10.704 है०, गै० मु० रास्ता 0.050 है०, गै० मु० खाला 0.125 है० खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं० 1 पेमा के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उपरोक्त वादभूमि में से प्रतिवादी सं० 1 पेमा अकेले के बजाए वादीगण सं० 1 भूपसिंह, वादीगण सं० 2 सतवीर व प्रतिवादी सं० 1 पेमा उर्फ पेमाराम को यहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं चूंकि प्रतिवादी सं० 2 ने अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा वादीगण एवं प्रतिवादी सं० 1 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क एवं स्टाम्प ड्यूटी अदा करने पर व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें। पर्चा डीकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12/05/2028 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(कल्पित परिवारन)  
 उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) R.A.S  
 भादरा जिला हनुमानगढ़